


कारों एवं
अंग
में व्यापार

315

423

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्य पृदेश ग्वालियर, कैम्प रीवा, मोपो



रामविचारे साहू तनय सुमेर साहू, निवासी ग्राम सिंगरावल, तहसील माड़ा,

एठ जिला सिंगराली मोपो -

-- निगरानीकता

अनुष्ठान पाइटम
दारा अंग दिनांक १२-१-६
प्रस्तुत किया गया।

बनाम

R. 5014-II/16

सिंहर
सर्किट कोट प्रभूद्य पृदेश शासन

- 2- अजमेर तनय जय सिंह
- 3- गेदलाल पिता अजमेर
- 4- भरतलाल पिता कन्हैयालाल सोनी
- 5- रमादेवी पिता शोलानाथ सोनी
- 6- रिचिया पति बुधदू सोनी
- 7- कन्हैबाल पिता बुधदेव तोनी
- 8- रतिभान पिता बिश्वर सोनी
- 9- सीताशरण पिता बलदेव कुम्हार
- 10- ललू पिता मोहन बियार
- 11- देवलाल सिंह पिता रामलाल सिंह
- 12- दारिका सिंह पिता जगजाहिर सिंह
- 13- नाहर सिंह पिता जगजाहिर सिंह
- 14- बुधदलाल पिता जमादार
- 15- ललन पिता जनक्ष्यरी बियार
- 16- ललन पिता ददन कुम्हार
- 17- बलिराम पिता सुमेर
- 18- वृन्दावन पिता सुमेर साहू
- 19- जगबली पिता जगजाहिर सिंह
- 20- फूमती पिता बन्धु राम
- 21- फूमती पिता बन्धु राम

पा 4

- 22- राधिका देवी पिता पन्नेलाल
- 23- फूलमती पिता पन्नेलाल
- 24- नीरामती पत्नी धनेशर कुमार
- 25- श्यामलाल पिता कुजन प्रसाद कुमार
- 26- मेशा कुमार पिता प्रयामलाल कुमार
- 27- इन्द्रपाल सिंह गोडे

सभी निवासी ग्राम सिंगरावन, तहसील माडा, जिला सिंगराली २०५०,
गैरनिगरानीकतागिरि

निगरानी विलङ्घ आदेश न्यायालय कौटर, १३०।

सिंगराली के प्रकरण क्र. १३६/अ-७४/२०१०-११, ने

पारित आदेश दिनांक ११.३.२०११,

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म०प० मू. राजस्व होना।

१९५९ ई.।

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न है:-

१:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय की आवा विधि संव प्रक्रिया के अन्तर्गत

होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

२:- यह कि विवादित भूमियों पर भूमि नं० ४३। रक्षा २-३३ है।

आवेदक काबिज दखील एक लम्बे अर्ते से धा, तथा उस पर मकान आवादी
पूर्व से आज तक चला आ रहा है। इस भूमि के साथ अन्य भूमियाँ हैं, जो
अन्य प्रत्यधीण के स्वत्त्व तथा अधिष्ठत्य मैं थीं, जिस पर काबिज दखाते
इस बिन्दु का अवलोकन न करने से कानूनी भूल की गई है।

३:- यह कि भूमि नं० ४३। के क्षेत्र पर आवेदक स्वत्त्वाधिकारी है।
उत्तित्यधारी है, उसकी आवादी है। जेगल-पहाड़ इस भूमि र उसी

पर अन्य भूमि, जेगल, पहाड़ का जात है, जो नहीं है। उसी

XXXIX(a)-BR(H)-11

(315)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

जिला-सिंगरौली

प्रकरण क्रमांक R-5014-II / 16

रामविचारे साहू/शासन, अजमेर सिंह

(2)

(3)

(1)

24.04.19

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनूपदेव पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 136/अ-74/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 11.03.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 17.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।

W

(बी.एम.शर्मा),
सदस्य